संख्याः पीसीएच–एचए(5)सी(15) परिवार रजिस्टर–/2011–7919-8007
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

सेवा में,

1. समस्त, जिला पंचायत अधिकारी,
   हिमाचल प्रदेश।

2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
   हिमाचल प्रदेश।

शिमला–171009 दिनांक 7, जुलाई, 2011

विषयः– ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर को कम्पूट्रीकृत करने बारे।

महोदय,

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रः– 1550–41व पृष्ठांकन संख्याः– 1542–622 दिनांक 28 अप्रैल 2011 के सन्दर्भ में, मुझे ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर को कम्पूट्रीकृत व डेटाऐन्ट्री करने बारे निम्न अनुदेश जारी करने के निदेर्श हुए हैः–

1. DIT द्वारा तैयार किये गये परिवार रजिस्टर के सॉफ्टवेयर का संशोधित सॉफ्टवेयर (Modified Software) वेबसाईट www.hpsedc.com (HP State Electronic Corp.) उपलब्ध करवाया गया है जिसे जिला पंचायत अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी डाउन लोड करके सम्बन्धित पंचायत सचिव/सहायक/रोजगार सहायक को सी.डी. या पेनड्राईव ~~व [illegible]~~ प्राप्त करके उन्हें अपनी–अपनी ग्राम पंचायम के कम्पयुटर में तुरन्त अपलोड करने को कहें।
2. उपरोक्त सॉफ्टवेयर में डेटाऐन्ट्री का कार्य करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे इस कार्य को अविलम्ब शुरू करें ताकि एक सप्ताह के भीतर–भीतर कार्य पूर्ण हो सके तथा इसे प्राथमिकता दे क्योंकि इस कार्य की समीक्षा मुख्य सचिव महोदय द्वारा की जानी है।
3. सम्बन्धित कर्मचारियों जिला पंचायत अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को प्रति दिन डेटाऐन्ट्री की रिर्पोट प्राप्त करगें तथा जिससे वे निदेशालय को प्रति दिन अवगत करवाया जाएगा।
4. परिवार रजिस्टर अनुसार जिन व्यक्तियों की आयु का वर्ष दर्ज हो तो उस दशा में सॉफ्टवेयर में उनकी आयु 1 जुलाई मानी जाए तथा जिन व्यक्तियों का महिना व वर्ष दर्ज हो तो उस अवस्था में उनकी आयु उस मास की 16 तारिख मानी जाए।
5. खण्ड विकास अधिकारी अपने कार्यालय में तैनात कम्पयुटर ओपरेटर को निर्देश जारी करे की वह ग्राम पंचायत के सम्बन्धित कर्मचारियों को सी.डी. तैयार करके या पेनड्राईव में डाल कर दे।

6. जिन ग्राम पंचायतों में डेटाऐन्ट्री पूर्व में प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर में की गई है उन्हें इस सॉफ्टवेयर में परिवार रजिस्टर की डेटाऐन्ट्री करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त बारे में पूर्व में दिए गए दिशानिर्देशो का भी पालना की जाए यदि कोई कठिनाई आति है तो दुरभाष संख्या 9418464348 (श्री उमेश) व 09816332181 (श्री राजेश कुमार एचपीएसईडीसी) में सम्पर्क करें।

भवदीय,

उप–निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–9

पृष्ठांकन संख्या– उपरोक्त– 8008
दिनांक 7 /7/2011

प्रतिलिपिः–

प्रबन्धक हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक विकास निगम खलीनी को आवश्यक कार्रवाई व इस अनुरोध सहित की वे डेटाऐन्ट्री की प्रगति इस विभाग को अवगत करवाने की कृपा करेगे।

उप–निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–9